न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 19/2019 तारीख 22.07.2019

1. जैली बेवा रामसुखा निवासी ग्राम बहतेड तह0 मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर
2. चिरंजी पुत्र रामसुखा निवासी ग्राम बहतेड तह0 मलारना डूंगर
3. रामकेश पुत्र रामसुखा निवासी ग्राम बहतेड तह0 मलारना डूंगर

——— अपीलान्टस

बनाम

1. नुरका पुत्री बाल्या उर्फ पांच्या पत्नी बाल्या निवासी लालपुर उमरी तह0 गंगापुरसिटी
2. मिश्री पुत्र छीतर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुरसिटी
3. नेतराम पुत्र कालू उर्फ काल्या निवासी ग्राम जस्टाना तहसील बौंली
4. गणपत पुत्र कालू उर्फ काल्या निवासी ग्राम जस्टाना तहसील बौंली
5. छीतर पुत्र गोपाल निवासी ग्राम बहतेड तहसील मलारना डूंगर
6. रामनाथ पुत्र गोपाल निवासी ग्राम बहतेड तहसील मलारना डूंगर
7. प्रेम पुत्री काना पत्नी कालू निवासी ग्राम रामसिंहपुरा (खटुपुरा पढाना) तहसील सवाई माधोपुर
8. तहसीलदार तहसील मलारनाडूंगर

———— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक 22/8/22

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश दिनांक 08.06.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 385 दिनांक 08.11.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 385 दिनांक 08.11.2017 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। अदालत मातहत से मूल नामान्तरकरण जिल्द प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतकरण संख्या 385 दिनांक 8.11.2017 विधि विरूद्ध तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 121, 132 तथा नियम 157(4) का उल्लंघन करते हुए तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ... सं. 52/14 उनवानी नुरका बनाम जैली में समस्त कार्यवाही प्रतिवादीगण व अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारीगण की साजिश तथा मिलीभगत के कारण समस्त फर्जी कार्यवाही के तहत विधि विरूद्ध साजिशी प्रथम डिक्री तथा उसके पश्चात् ... Execution Proceeding की इजराय के बिना ही जल्दबाजी में नामांतकरण सं. 385 विधि विरूद्ध तस्दीक करवाया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि का मौके पर आज तक भूमि का कोई विभाजन नहीं करवाया गया है अर्थात तथाकथित निर्णय की अनुपालना में प्रारम्भिक डिक्री की विधिवत कोई इजराय Execution of Decree कराये बिना प्रारम्भिक डिक्री के पश्चात अंतिम डिक्री की थी (विधि सम्मत तकासमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:35 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कतई नहीं किया गया)। तहसीलदार मलारना डूंगर के द्वारा इस वादग्रस्त भूमि का Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules 1955 के Rule संख्या 18 लगायत 21 की अनुपालना में मौके पर विधि सम्मत नियमो के मुताबिक तकासमा नहीं किया गया तथा तहसीलदार द्वारा स्वयं तकासमा स्कीम नहीं बनायी गयी। इस तरह उक्त नियमों के तहत भूमि का तकासमा कराये बिना तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा जो नामांतकरण सं0 385 दिनांक 8.11.2017 तस्दीक किया गया है वह कतई विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी के द्वारा उक्त कथनों के समर्थन में निम्न रूलिंग प्रस्तुत की गई – (1.) 2019(3)CJ(Civ.)(SC) पेज 866, 868 (2.) R.R.D.1986 पेज 673 (3.) RRT2007(1) पेज 569 (4.) RRT 2014-15 पेज 476 । अन्त में वकील अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश दिनांक 08.06.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 385 दिनांक 08.11.2017 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में किये गये कथनो का खण्डन करते हुये पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारनाडूंगर के निर्णय दिनांक 24.04.2016 एवं संशोधित आदेश कमांक लोक अदालत/14/2017/695 31.05.2017 तथा तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश कमांक आईएलआर/17/2587 दिनांक 8.6.17 की अनुपालना में नामांतकरण संख्या 385 दिनांक 08.11.17 तस्दीक किया गया है। उक्त नामांतकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारनाडूंगर के डिक्री व आदेश की अनुपालना में भरा गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं अपीलाधीन पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारनाडूंगर के निर्णय दिनांक 24.04.2016 एवं संशोधित आदेश कमांक लोक अदालत/14/2017/695 31.05.2017 तथा तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश दिनांक 8.6.17 की अनुपालना में नामांतकरण संख्या 385 दिनांक 08.11.17 तस्दीक किया गया है। उक्त नामांतकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारनाडूंगर के डिक्री व आदेश की अनुपालना में भरा गया है जैसा कि कॉलम संख्या 14 में वर्णित है। उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के उक्त निर्णय में यदि कोई कमी थी तो अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर की डिक्री व आदेश की पालना में भरे गये नामांतकरण के संबंध में निर्णय लिया जाना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.17 एवं नामान्तरकरण संख्या 385 दिनांक 08.11.17 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर